न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 135/2026 अनवान सादुलसिंह बनाम मोकमसिंह वगैरा

दिनांक 12.03.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 25/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 4–प्रार्थी–मोकमसिंह पुत्र केसरसिंह वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील शिव स्थित ग्राम रासारातला के ख.नं. 598/423 रकबा 19.0849 है0 भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 22 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम रासारातला के ख0नं0 597/423 रकबा 12.2215 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है। अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 से 7 एक ही दादा के परिवार है, जिनमें आपसी सहमति से पूर्व में बंटवारा हुआ था। उसी बंटवारा अनुसार दोनो अपनी–अपनी भूमियों पर कब्जा काश्त है। जिनमें रहवासीय पक्की ढाणियां व टांका का निर्माण किया हुआ है। रेस्पो0सं0 1 से 4 के पिता ने अपीलांट के सेढे पर करीब 20–25 वर्ष पूर्व एक सरकारी बांध का निर्माण करवाया था, जो आज भी अस्तित्व में है। तत्पश्चात वर्ष 2010 में अपीलांट ने अपने खेत में ट्यूबवेल का निर्माण करवाया था, जो सिंचाई कार्य में प्रयुक्त है। इसकी जानकारी के बावजूद रेस्पो0 की नियत में खोट आ जाने से उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर वादग्रस्त ख0नं0 598/423 की नेखमबंदी का एकतरफा आदेश पारित करवा लिया गया। आलौच्य प्रकरण बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं बिना मौका रिपोर्ट के पारित कर दिया गया। आरएलआर एक्ट की धारा 128 के तहत अविवादित मामलें में पैमाईश व नेखमबंदी का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर नही दिया गया, जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सका। अत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों

आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी सं0 22–तहसीलदार शिव़ की रिपोर्ट व सीमांकन रिपोर्ट के बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रकट उक्त तथ्यों की पुष्टि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से होती है। चूंकि अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहता है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 25/2025 बअनवान मोकमसिंह व अन्य बनाम सादुलसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरा नम्बर 598/423 की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 12-3-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

12/3/26

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर